6:02 ···
frmPDF(1).pdf

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-4/वे0आ0-2-236/दस-2021/35(एम)/2008
लखनऊः दिनांक : 16 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण, विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में विचार कर संस्तुति देने हेतु वेतन समिति (2016) का गठन किया गया था। तत्क्रम में वेतन समिति (2016) द्वारा इनके सम्बन्ध में संस्तुतियाँ दी गयी, जिनमें से अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की ऐसी संस्तुतियां जिन पर अभी निर्णय लिया जाना शेष है के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व सम्यक् रूप से विचार-विमर्श कर संस्तुति दिये जाने हेतु राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नानुसार समिति गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1	**मुख्य सचिव**	**-**	**अध्यक्ष।**
2	**अपर मुख्य सचिव,कार्मिक**	**-**	**सदस्य।**
3	**अपर मुख्य सचिव,वित्त**	**-**	**सदस्य।**
4	**संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**	**-**	**सदस्य।**
5	**विशेष सचिव,वित्त (वेतन आयोग)**	**-**	**सदस्य-सचिव।**

सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

संख्या-4/वे0आ0-2-236(1)/दस-2021,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/एन0आई0सी0, लखनऊ।

सरयू प्रस
विशे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in